संख्या:387/1/2006-03(8)/03/06

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेड़ा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग, देहरादूनः दिनांकः 7, मार्च, 2006

विषयः– भिकुरियागाड़ लघु जल विद्युत परियोजनाओं में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो का आंगणन की वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित अपने पत्र संख्या 3068/उरेडा/4(1)–6/भिकुरियागाड़/2001, दिनांक 24.01.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भिकुरियागाड़ लघु जल विद्युत परियोजनाओं में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो का आंगणन रु0 33.94 लाख की लागत के आंगणन के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 30.08 (रु0 तीस लाख आठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति हेतु मानक हों, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय।

.....2

C:\Documents and Settings\UREDA\G O.doc [redacted] [redacted]

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करालें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9– शासनादेश में इंगित धनराशि, जिस पर प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है उसकी प्रतिपूर्ति आपदा प्रबन्धन विभाग से कराने की कार्यवाही भी की जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 185/XXVII(2)/2006, दिनांक 04 मार्च, 2006 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या:387 /I/2006-03(8)/03/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तरांचल शासन।
4– वित्त अनुभाग–2,
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन को धनांवटन हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव